| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>**सुमेरमल बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा)**<br>सू.अ.अपील संख्या 80/2023 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.06.23 | अपीलार्थी सुमेरमल पुत्र अमराराम निवासी ग्राम सांवलनगर (मूलराज), पोस्ट लोहावट, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2022 में कार्यालय तहसीलदार, बिलाड़ा के आदेश क्रमांक स्थापना/2022/289 दिनांक 20.06.2022 की प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(हिमान्शु गुप्ता)<br>जिला कलक्टर जोधपुर<br>जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) | |